(123)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3439–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–9–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 425/अपील/2010–11

रामेश्वर पिता श्री अमराजी आगलेचा
निवासी ग्राम राजपुरा तहसील सरदारपुर
जिला धार
.....आवेदक

विरूद्ध

1– नानूबाई पति श्री रामचन्द्र सिर्वी
निवासी ग्राम राजपुरा तहसील सरदारपुर
जिला धार
2– रामचन्द्र पिता श्री अमरा सिर्वी
निवासी ग्राम राजपुरा तहसील सरदारपुर
जिला धार

.....अनावेदकगण

श्री टी0टी0गुप्ता व श्री गौरव सक्सैना, अभिभाषक, आवेदक
श्री कपिल शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम राजपुरा तहसील सरदारपुर जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 735/2 रकबा 0.471 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 2 के

भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । उक्त भूमि अनावेदक कमांक 2 से आवेदक द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करने पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–3–11 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आुयक्त द्वारा दिनांक 1–9–2015 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर द्वितीय अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के आधार तहसील न्यायालय द्वारा किया गया नामान्तरण आदेश को निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि पंजीकृत विकय की जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । तर्क के समर्थन में 1984 आरएन 05 एवं 1989 आरएन 375 व 2005 आरएन 45 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 2 से कय की गई है और अनावेदक कमांक 2 के जीवनकाल में अनावेदक कमांक 1 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का कोई कानूनी रूप से अधिकार नहीं है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 एवं संहिता की धारा 164 के प्रावधानों पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त

किये जाने योग्य है । तर्क के समर्थन में 1990 आरएन 285 व 294 एवं 2004 आरएन 109 व 284 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

(4) पंजीकृत विकय पत्र की वैधता पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार अनावेदक कमांक 1 को नहीं है ।

(5) तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये थे जिनमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है, इसलिये भी अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित में केवल यही आधार लिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक कमांक 1 की आपत्ति के अनुसार उसके हितों को नष्ट करते हुये उसकी बिना सहमति के एवं उसके भरण पोषण के खर्चे को ध्यान में रखते हुये उचित आदेश पारित किया गया है । अनावेदक कमांक 2 को शराब व जुएं की लत है और आवेदक द्वारा धोखे से प्रश्नाधीन भूमि का विकय पत्र निष्पादित करा लिया गया है और ऐसा कपटपूर्ण विकय पत्र और अनावेदक कमांक 1 के हित को नजरअंदाज कर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । तर्क के समर्थन में 1999 आरएन 298 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि पूर्व में भूमि रामचन्द्र के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी एवं उसके द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि का विकय आवेदक रामेश्वर को किया गया है । इस सम्बंध में रामचन्द्र की पत्नी द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत निरस्त किया गया है कि अभिलिखित भूमिस्वामी को अपने जीवनकाल में उसके स्वामित्व की भूमि विकय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा आपत्ति निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है । इसके

अतिरिक्त स्वत्व के विवाद का निराकरण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1--9--2015 निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी, सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28--3--11 एवं तहसीलदार, सरदारपुर जिला धार द्वारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28--7--10 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर